



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112020-223344
CG-DL-E-26112020-223344

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 607]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 2020/आग्रहायण 5, 1942

No. 607]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 2020/AGRAHAYANA 5, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2020

सं. 39/2020 सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 738(अ).— जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य और थाईलैंड (एतदपश्चात् विषयगत देश संसंदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “पोलिएस्टर के सभी फुल्ली ड्रान या फुल्ली ओरिएण्टेड यार्न/स्पिन ड्रा यार्न/फ्लैट यार्न” (एतदपश्चात् विषयगत माल से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 54 के अंतर्गत आता है, पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 51/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 जिसे सा.का.नि 804 (अ), दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड- 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के आगे जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (5) के अनुसार और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात् जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में अधिसूचना संख्या 7/9/2020-डीजीटीआर, दिनांक 15 अप्रैल, 2020 के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था और उन्होंने उक्त अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है;

और जबकि केन्द्र सरकार ने विषयगत देश में उत्पादित और निर्यात होने वाले विषयगत माल पर प्रतिपाटन शुल्क को सम्मिलित रूप से 30 नवम्बर, 2020 तक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 32/2020 सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 से और आगे बढ़ाया गया था, जिसे सा.का.नि 649 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 के तहत भारत में राजपत्र, असाधारण, भाग-11, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था;

और जबकि नामित प्राधिकरण द्वारा विषयगत देश में उत्पादित और निर्यात होने वाले विषयगत माल पर प्रतिपाटन शुल्क को और आगे बढ़ाये जाने का अनुरोध किया है।

अतः अब उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त नियमवाली के नियम 23 के अनुपालन में, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 51/2015- सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 जिसे सा.का.नि 804 (अ), दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-11, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतस्थापित किया जाएगा, यथा:-

उक्त अधिनियम में, पैराग्राफ 3 में, अंकों और शब्दों “30 नवम्बर 2020” के लिए अंकों और शब्दों “31 दिसम्बर 2020” को प्रतिस्थापित किया गया है।

[मि. सं. 354/29/2009-टीआरयू (Pt II)]

गौरव सिंह, उपसचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 51/2015-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 को सा.का.नि. 804(अ) दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 के तहत प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना सं. 32/2020-सीमाशुल्क (एडीडी), 19 अक्टूबर, 2020 जिसे सा.का.नि. 649(अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 के तहत अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2020

No. 39/2020-Customs (ADD)

G.S.R. 738(E).—Whereas, the designated authority *vide* notification No. 7/9/2020-DGTR dated 15th April, 2020, published in Gazette of India, Extraordinary Part I, Section 1 of the, dated the 15th April, 2020, had initiated review, in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn of Polyester (hereinafter referred to as the subject goods), falling under chapter 54 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from People's Republic of China and Thailand (hereinafter referred to as the subject countries) imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 51/2015-Customs (ADD) dated the 21st October, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 804 (E), dated the 21st October, 2015, and has requested for extension of anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the said Act;

And whereas, the Central Government had extended the anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject country up to and inclusive of the 30th November, 2020, *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.32/2020-

Customs (ADD), dated the 19th October, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 649(E), dated the 19th October, 2020;

And whereas the designated authority has requested for further extension of the antidumping duty on the subject goods originating in or exported from the subject countries.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 51/2015-Customs (ADD) dated the 21st October, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 804 (E), dated the 21st October, 2015, namely: -

In the said notification, in paragraph 3, for the figures and words “30th day of November, 2020”, the figures and words “31st day of December, 2020” shall be substituted.

[F. No. 354/29/2009-TRU (Pt-II)]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note : The principal notification No. 51/2015-Customs (ADD) dated the 21st October, 2015 was published *vide* number G.S.R. 804 (E), dated the 21st October, 2015 and last amended by notification No. 32/2020-Customs (ADD) dated the 19th October, 2020 published *vide* number G.S.R.649 (E), dated the 19th October, 2020.